रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062020-220165
CG-DL-E-25062020-220165

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1815] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2020/आषाढ़ 4, 1942
No. 1815] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2020/ASHADHA 4, 1942

## वित्त मंत्रालय
## (राजस्व विभाग)
## (केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)
## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2020

**का.आ. 2041(अ).—**आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में, केंद्र सरकार एतदद्वारा रियल एस्टेट (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 10 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार द्वारा गठित इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट "रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण" को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस प्राधिकरण को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के बारे में 'प्राधिकरण के वर्ग' के रूप में अधिसूचित करती है, नामत:-

(क) सरकार से सहायता अनुदान अथवा ऋण/अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) रियल एस्टेट (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार बिल्डर्स/डवलपर्स, एजेंटों अथवा किसी अन्य पणधारकों से प्राप्त फीस/अर्थ दण्ड;

(ग) विविध आय, यदि कोई हो, प्राधिकरण के मुख्य कार्यकलाप से संबंधित; तथा

(घ) उपरोक्त (क) (ख) तथा (ग) पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना उन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण में से प्रत्येक-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी;

(ग) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 139 की उपधारा - 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा; और

(घ) सनदी लेखाकार से इस प्रमाणपत्र के साथ कि उपरोक्त शर्तें संतोषजनक हैं, सहित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में यथा प्रदान की गई लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित की गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना नीचे कॉलम (2) पर उल्लिखित रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण को नीचे कॉलम(4) में उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों के बारे में लागू होगी।

**अनुसूची**

| **क्रम. सं. (1)** | **रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण का नाम (2)** | **पैन (3)** | **कर निर्धारण वर्ष (4)** |
|---|---|---|---|
| 1. | उडीसा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण | एएएजीओ0648एफ | 2020-2021,2021-2022,2022-2023, 2023-2024 तथा 2024-2025 |
| 2. | झारखण्ड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण | एएएएलजे2126एल | 2020-2021,2021-2022,2022-2023, 2023-2024 तथा 2024-2025 |

[अधिसूचना सं. 37/2020, फा. सं. 300196/50/2019-आईटीए-I]

गुलज़ार अहमद वाणी, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2020

**S.O. 2041 (E).—**In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Real Estate Regulatory Authority' as specified in the schedule to this notification, constituted by Government in exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 20 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) as a 'class of Authority' in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:—

(a) Amount received as Grant-in-aid or loan/advance from Government;

(b) Fee/penalty received from builders/developers, agents or any other stakeholders as per the provisions of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016;

(c) Interest earned on (a) & (b) above.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that each of the Real Estate Regulatory Authority –

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years;

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of Section 139 of the Income-tax Act, 1961; and

(d) shall file the audit report along with return, duly verified by the accountant as provided in explanation to section 288(2) of the Income-tax Act, 1961 along with a certificate from the chartered accountant that the above conditions are satisfied.

3. This notification shall apply to the Real Estate Regulatory Authority, mentioned at column (2) below, with respect to the assessment years mentioned in column (4) below.

**SCHEDULE**

| **S.No. (1)** | **Name of the Real Estate Regulatory Authority (2)** | **PAN (3)** | **Assessment Years** |
|---|---|---|---|
| 1 | Odisha Real Estate Regulatory Authority | AAAGO0648F | 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025 |
| 2 | Jharkhand Real Estate Regulatory Authority | AAALJ2126L | 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 and 2024-2025 |

[Notification No. 37/2020/F.No. 300196/50/2019-ITA-I]

Gulzar Ahmad Wani, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.06.25 20:26:54 +05'30'